



कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : व-15 (1076) महानि.पु./सू.अधि./अ.शा./2012/557-647 दिनांक :

आदेश


06/04/2016.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रथम अपील अधिकारियों के मनोनयन के सम्बन्ध में।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक व-15 (1076) म.नि.पु./सू.अ./अ.शा./2012/4337-4497 दिनांक 03.09.2012 की तालिका की पंक्ति (row) संख्या 1 से 12 के कॉलम संख्या 5 को संशोधित कर निम्नानुसार पृथक-पृथक प्रथम अपील अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं:-

क्र. सं.	शाखा का नाम	प्रथम अपील अधिकारी
1	2	3
1.	मुख्यालय एवं पुनर्गठन	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2.	अपराध शाखा	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर।
3.	सिविल राईट्स	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सिविल राईट्स, राजस्थान, जयपुर।
4.	सतर्कता	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, सतर्कता, राजस्थान, जयपुर।
5.	इन्टैलिजेन्स	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, इन्टैलिजेन्स, राजस्थान, जयपुर।
6.	आर.ए.सी.	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आर्म्ड बटालियन, राजस्थान, जयपुर।
7.	प्रशासन, यातायात एवं रेल्वे	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशासन एवं कानून-व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
8.	आयोजना एवं कल्याण मय वित्त	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर।
9.	स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, स्टेट क्राईम रिकार्ड ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।
10.	प्रशिक्षण	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, प्रशिक्षण, राजस्थान, जयपुर।
11.	दूरसंचार	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, तकनीकी एवं दूरसंचार, राजस्थान, जयपुर।
12.	क्र.सं. 1 से 11 के अतिरिक्त शेष हेतु	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, पुनर्गठन, राजस्थान, जयपुर।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।


(मनोज भट्ट)
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।




प्रतिलिपि: निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, राजस्थान, जयपुर।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, दूरसंचार एवं तकनीकी, एवं नोडल अधिकारी, आरटीआई वेब पोर्टल, पुलिस विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/ महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान मय जीआरपी जयपुर।
4. समस्त उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान/अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जयपुर/ जोधपुर।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान मय पुलिस उपायुक्त, जयपुर/जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन कार्यरत समस्त लोक सूचना अधिकारियों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने स्तर पर सूचित करें।
6. समस्त कमाण्डेन्ट्स, आर.ए.सी. बटालियन्स मय एमबीसी, खैरवाड़ा एवं हाडी रानी बटालियन, अजमेर/आई.आर.बटालियन/पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र/मोटर ड्राइविंग स्कूल, बीकानेर।
7. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके कार्यालय पत्रांक एफ. 9 (23) ग्रुप-5/2005/दिनांक 16.09.2005 एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक व 15 (1) पुलिस/अ/गुप्त/2009/3597 दिनांक 16.10.2009 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं पीआरसी, सीआईडी सी.बी., राज0, जयपुर एवं नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
9. स्टेट कन्ट्रोल रूम, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
10. पुलिस अधीक्षक, एससीआरबी, जयपुर को उपरोक्तानुसार राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रभारी, "अ" ब्रान्च, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।


6/11/16
महानिदेशक पुलिस,
राजस्थान, जयपुर।